

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 24/04/2026
संख्या-17/स्था0(कार्य0प्रभार)/22-04/2026-7283/सां0प्र0- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
की अधिसूचना सं0-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत
बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित उप सचिव (वेतन स्तर-12) को संयुक्त सचिव के पद का, उसके
विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-


क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान कोटि
1	2	3
1	श्री राकेश कुमार 67/26 नालंदा	उप सचिव
2	श्री प्रमोद कुमार 70/26 भागलपुर	उप सचिव
3	श्री सूरज कुमार चौधरी 71/26 पटना	उप सचिव
4	श्री अरुण भगत 72/26 साहेबगंज (झारखण्ड)	उप सचिव
5	श्री शैलेश कुमार भूषण 73/26 पटना	उप सचिव
6	श्री ऋषि कुमार 74/26 पटना	उप सचिव
7	श्री कामेश्वर मिश्रा 75/26 सिवान	उप सचिव
8	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव 77/26 पटना	उप सचिव

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव में उत्क्रमित किया जाता है।

2


4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था0(कार्य0प्रभार)/22-04/2026 **7283** /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 24/04/2026
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग/सभी संबंधित विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।